न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 97/2016

1 मूर्ति मन्दिर श्री महादेव स्थित कस्बा झुंझुनू नाबालिग जरिये पुजारी आकाशगिरी चैला शंकर गिरी जाति स्वामी निवासी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 यासीन खां पुत्र फरीद खां।
2 मन्जुर खां पुत्र फरीद खां।
3 भारद खां पुत्र फरीद खां।
4 सैदाम हुसैन पुत्र श्योकत अली।
5 बसीरी स्त्री श्योकत अली।
6 मो. सलीम पुत्र असगर अली समस्त जाति कायमखानी निवासी झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
7 उप पंजियक झुंझुनू जिला झुंझुनू।
8 तहसीलदार झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 31.08.2016 मुकदमा उनवानी मूर्ति मन्दिर बनाम यासीन खां मुकदमा नम्बर 41/2016 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री मुकर्रम अन्सारी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री तैयब हुसैन, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 41/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 3510 रकबा 1.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3513 रकबा 1.38 हैक्टेयर सरहद कस्बा झुंझुनू में स्थित है। उक्त जमीन के बाबत अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष एक दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। अदालत मातहत ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दिनांक 31.08.2016 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि तत्कालीन ठिकाना पंचपाना की जमीन थी। तत्कालीन ठिकाना ने उक्त जमीन अपीलांट को 100 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व माफी व खुद काश्त में दी थी। तत्कालीन ठिकाना ने जब यह जमीन अपीलांट को माफी व खुद काश्त के लिये दी थी उससे पहले यह जमीन खाली थी और किसी की काश्तकारी में नही थी। अपीलांट मूर्ति मन्दिर का पहल पुजारी गणपतगिरी चेला भजन गिरी जाति स्वामी निवासी झुंझुनू था। कानून से पुजारी मूर्ति मंदिर की सम्पति की देखभाल करता है व प्रबन्ध मूर्ति की ओर से मूर्ति के लिये ही कर सकता है और पुजारी को मूर्ति की जमीन में कोई हक टिनेन्सी पैदा नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

होता और ना ही पुजारी मूर्ति की जमीन को हस्तान्तरित कर सकता इस प्रकार उक्त जमीन पहले अपीलांट की माफी में व खुद काश्त में थी और अपीलांट का पुजारी उक्त गणपतगिरी था। उक्त गन्नी पुत्र कादर कोम मुसलमान निवासी झुंझुनू इस जमीन को कभी भी काश्त नहीं किया। उक्त जमीन अपीलांट की खुद काश्त की जमीन थी। अपीलांट ने उक्त जमीन को कभी भी बतौर टीनेन्ट काश्त हेतु नहीं दी और न ही इस जमीन को अपीलांट की माफी के बाद किसी ने बतौर टिनेन्ट काश्त नहीं की। जमाबंदी संवत 2012 में व खसरा गिरदावरियों में अपीलांट की काश्त दर्ज है उक्त जमीन अब्दुल गन्नी व गन्नी की खुद काश्त में गलत दर्ज है। उक्त जमीन बाद में फरीद खां मुसलमान कायमखानी के नाम भी गतल दर्ज हुई तथा उक्त फरीद खां के देहान्त होने के बाद उक्त जमीन उसके पुत्र श्योक अली खां, यासीन खां, मन्जुर खां व भारद खां के नाम भी गलत रूप से दर्ज हुई है। गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में भादर खां ने सलीम को 0.22 हैक्टेयर जमीन गलत रूप से विक्रय की है। उक्त सलीम को 0.22 हैक्टेयर जमीन विक्रय करने के कारण हाल खसरा नम्बर 3513 रकबा 1.38 हैक्टेयर जमीन के दो हाल खसरा नम्बर 4386/3513 रकबा 0.22 हैक्टेयर व हाल खसरा नम्बर 3513 रकबा 1.16 हैक्टेयर बने आवेदक नाबालिक है तथा मूर्ति मन्दिर महादेव जी की जमीन अन्य प्राईवेट व्यक्ति के नाम दर्ज नहीं हो सकती। जमीन वर्णित धारा 4 अपील का पहले जो राजस्व रिकार्ड गन्नी के नाम बना तथा बाद में अब्दुल गन्नी के नाम तथा उसके बाद फरीद खां के नाम तथा फरीद खां के बाद रेस्पोडेंट के नाम जो गलत राजस्व रिकार्ड बना है उससे अपीलांट पाबन्द नहीं है। गलत राजस्व रिकार्ड आवेदक के हकुक के विरूद्व प्रारम्भ से ही शुन्य है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस में प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के हक में नही मानने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेंट के बजाय प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट का है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपार क्षति का बिन्दु भी अपीलांट के हक में है। अदालत मातहत ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करने का कोई आधार दर्ज नहीं किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत रूप से खारिज किया है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.08.2016 खारिज किया जावे तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित अराजियात मिसल हकियत संवत 1999 में गत खसरा नम्बर 969 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा माफी मन्दिर महादेव जी वाके देह व अहतमाम पुजारी गणपत गिरी चेला भजन गिरी व खातेदार के कॉलम में गन्नी वल्द कादर कोम मुसलमान की खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी संवत 2012 से 2015, संवत 2009 से 2012, संवत 2013 से 2016, संवत 2017 से 2020, संवत 2025 से 2028, संवत 2033 से 2036 में भी यही प्रविष्टि अंकित है। जमाबंदी संवत 2028 से 2031 में विवादित भूमि की खातेदारी अब्दुल नवी पुत्र गन्नी कोम मुसलमान संवत 2032 से 2035 में भी यही प्रविष्टि दर्ज है। जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में विवादित भूमि के हाल खसरा नम्बर 3510,3513 में खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। विवादित आराजी की खसरा गिरदावरियां संवत 2009 से 2033 पत्रावली में पेश है जिनमें भी विवादित आराजीयात पर काश्त गन्नी वल्द कादर की व उसके पश्चात उसके पुत्र अब्दुल नबी पुत्र गन्नी की दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में कही भी वाद ग्रस्त भूमि पर मन्दिर या उसके पुजारी की काश्त दर्ज नही है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार साबित है। विवादित भूमि कभी भी मन्दिर की खुद काश्त में दर्ज नही रही है। विवादित भूमि शुरू से गन्नी की खातेदारी काश्त की भूमि रही है जिसके देहान्त के बाद उसके पुत्र अब्दुल नवी की खातेदारी में रही जिसके द्वारा विक्रय करने पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हो गये। आवेदक का न तो प्रथम दृष्टया मामला है तथा न ही सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है। जब वादग्रस्त भूमि से मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी अथवा उसके कथित पुजारी का कोई सम्बन्ध सरोकार किसी किस्म का नही है तो उस सूरत मे आवेदक का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन आवेदक के पक्ष में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कानूनन किसी रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित अराजियात मिसल हकियत संवत 1999 में गत खसरा नम्बर 969 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा माफी मन्दिर महादेव जी वाके देह व अहतमाम पुजारी गणपत गिरी चेला भजन गिरी व खातेदार के कॉलम में गन्नी वल्द कादर कोम मुसलमान की खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी संवत 2012 से 2015, संवत 2009 से 2012, संवत 2013 से 2016, संवत 2017 से 2020, संवत 2025 से 2028, संवत 2033 से 2036 में भी यही प्रविष्टि अंकित है। जमाबंदी संवत 2028 से 2031 में विवादित भूमि की खातेदारी अब्दुल नवी पुत्र गन्नी कोम मुसलमान संवत 2032 से 2035 में भी यही प्रविष्टि दर्ज है। जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में विवादित भूमि के हाल खसरा नम्बर 3510,3513 में खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। विवादित आराजी की खसरा गिरदावरियां संवत 2009 से 2033 पत्रावली में पेश है जिनमें भी विवादित आराजीयात पर काश्त गन्नी वल्द कादर की व उसके पश्चात उसके पुत्र अब्दुल नबी पुत्र गन्नी की दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में कही भी वाद ग्रस्त भूमि पर मन्दिर या उसके पुजारी की काश्त दर्ज नही है। विवादित भूमि कभी भी मन्दिर की खुद काश्त में दर्ज नही रही है। विवादित भूमि शुरू से गन्नी की खातेदारी काश्त की भूमि रही है जिसके देहान्त के बाद उसके पुत्र अब्दुल नवी की खातेदारी में रही जिसके द्वारा विक्रय करने पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हो गये। ऐसी स्थिति में आवेदक का न तो प्रथम दृष्टया मामला है तथा न ही सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है। जब वादग्रस्त भूमि से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

मूर्ति मन्दिर श्री महादेव जी अथवा उसके कथित पुजारी का कोई सम्बन्ध सरोकार किसी किस्म का नही है तो उस सूरत मे आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन आवेदक के पक्ष में नही माना जा सकता है। कानूनन किसी रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर